कार्यालय जनपद न्यायाधीश, आगरा।

(प्रशासनिक अनुभाग)

आदेश संख्या : 162/2024 आगरा : दिनांक : 24 अक्टूबर, 2024

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्रांक 14218/दिनांकित 23.10.2024 के द्वारा दिनांक 31.10.2024 (दिन गुरूवार) दीपावली का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है तथा माह नवम्बर, 2024 के चतुर्थ शनिवार, दिनांक 23.11.2024 (चतुर्थ शनिवार) को न्यायिक कार्य सम्पादन किये जाने हेतु कार्यदिवस घोषित किया गया है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित आदेश संख्या 02/2024 दिनांकित 02.01.2024 के द्वारा दिनांक 31.10.2024 (दिन गुरूवार) नरक चतुर्दशी का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त उक्त पत्र के आलोक में दिनांक 31.10.2024 (दिन गुरूवार) का सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित आदेश संख्या 02/2024 दिनांकित 02.01.2024 में आंशिक संशोधन करते हुये **दिनांक 31.10.2024 (दिन गुरूवार) नरक चतुर्दशी के स्थानीय अवकाश को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है तथा पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर दिनांक 07.11.2024 (दिन गुरूवार) छठ पूजा पर्व का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।**

अग्रेतर, माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पत्र में निर्दिष्ट निर्देश के अनुक्रम में **दिनांक 23.11.2024 (चतुर्थ शनिवार) को न्यायिक अधिष्ठान, आगरा के समस्त न्यायालय में न्यायिक कार्य सम्पादन किये जाने हेतु कार्यदिवस घोषित किया जाता है।**

समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्ता संघों तथा सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाये।

इस आदेश की एक प्रतिलिपि प्रशासनिक अनुभाग एवं केन्द्रीय नजारत के सूचनापट्ट पर चस्पा की जाये तथा स्थानीय समाचार पत्रों को भी निःशुल्क प्रकाशनार्थ जिला सूचना अधिकारी, आगरा को भेजी जाये।

तद्नुसार माननीय उच्च न्यायालय को भी सूचित किया जाये।

दिनांक : 24.10.2024

24.10.2024

(विवेक संगल)
जनपद न्यायाधीश,
आगरा।

Computer Cell

For Information

By Order
Admin Clerk
25-10